झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

द्वितीय–सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण– सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के नियम– 147 के अन्तर्गत दिनांक– 27.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :–

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01–	डॉ0 अनिल मुर्मू स0वि0स0	पाकुड़ जिला का लिट्टीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड लिट्टीपाड़ा को सामाजिक, आर्थिक अंकेक्षण के तहत् देश का सबसे पिछड़ा प्रखण्ड का दर्जा दिया गया है, यह अनु0जन0 जाति/अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, शैक्षणिक एवं तकनीकि शिक्षा के महत्व में यह अत्यन्त ही पिछड़ा प्रखंड है, जिले में एकमात्र अंगीभूत डिग्री कॉलेज के0के0एम0 कॉलेज है, जिसमें सभी विषयों की भी पढ़ाई नहीं होता है। उच्चतर शिक्षा के लिए मॉडल कॉलेज, महिला महाविद्यालय, तकनीकि शिक्षा के लिए पॉलिटेकनिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र यानी उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा प्राप्त करने में भी पाकुड़ जिला शुन्य की स्थिति में है। प्राईमरी शिक्षा, सर्व शिक्षा, मध्यविद्यालय, उच्च विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के अनुपात में कार्यरत शिक्षक बल चौथाई भी नहीं है। अतः मैं पाकुड़ जिला में उच्चतर शिक्षा, तकनीकि शिक्षण संस्थाएँ अविलम्ब खोलने के लिए सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
02-	श्री मनीष जयसवाल स0वि0स0	हजारीबाग जिला में लोगों को वर्षो से घरेलू उपयोग एवं लघु व्यवसाय हेतु सस्ते दर पर कोयला उपलब्ध कराई जाती रही है परन्तु विगत वर्षो से उक्त जिला के लोगों को सी0सी0एल0 प्रबंधन द्वारा घरेलू उपयोग एवं लघु व्यवसाय हेतु सस्ते दर पर कोयला देना बंद कर दी गयी है जिससे क्षेत्र के लोगों को घरेलू उपयोग एवं लघु व्यवसाय हेतु महंगे दर पर खुले बाजार से कोयला खरीदना पड़ रहा है साथ ही कई लघु व्यवसाय सस्ते दर पर कोयला उपलब्ध नहीं होने के कारण बंद हो चुकी है और कई बंदी के कगार पर है जबकि इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही के पत्रांक के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग में अपने पत्रांक- 767, दिनांक- 18.07.2013 के माध्यम से उप सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सारी स्थिति से अवगत करा दी गयी। इतना ही वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा भी सी0सी0एल0 प्रबंधन को इस संबंध में पत्र प्रेषित की जा चुकी है फिर भी उक्त प्रबंध द्वारा अबतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही सरकार द्वारा इस संबंध में उक्त प्रबंधन से बात की जा रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही सरकार को इससे राजस्व की हानि होने के साथ-साथ अनैतिक कार्य को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अतः सदन के माध्यम से इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	खनन एवं भूतत्व
03-	प्रो0 स्टीफन मराण्डी एवं श्री दीपक विरूवा स0वि0स0	झारखण्ड सचिवालय एवं प्रशासनिक सेवा के कर्मियों एवं पदाधिकारियों के नियुक्ति/प्रोन्नति संवर्ग के लिए कर्णाकित उच्चतर रिक्त पदों पर प्रोन्नति करने का प्रावधान है, परन्तु गत वर्ष जून माह एवं फरवरी 2015 में कार्मिक विभाग द्वारा प्रोन्नत संयुक्त सचिवों तथा सचिवालय संवर्ग के अवर सचिव, उप सचिव स्तर के रिक्त पदों पर प्रोन्नति दी गयी, उन्हें पूर्व के पदों पर बिना स्वीकृत पद के ही उत्क्रमित कर उसी पद पर पदस्थापित किया गया है जबकि उनके लिए पद चिन्हित है। इस तरह कार्यपालिका नियमावली का घोर उल्लंघन तथा वित्तीय नियमावली की भी उपेक्षा की गयी है।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष

01.	02.	03.	04.
		मैं उन प्रोन्नत कर्मियों का उनके लिए चिन्हित पदों पर शीघ्र पदस्थापन की ओर ध्यानाकृष्ट करता हूँ। राज्य के सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कालावधि में छूट देने संबंधी प्रावधान पूर्ववर्ती बिहार सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग के द्वारा ज्ञाप सं0-288, दिनांक- 15.05.1978 के द्वारा प्रावधान किया गया है, जो आज तक प्रभावी है। परन्तु झारखण्ड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प सं0-398, दिनांक- 16.01.2012 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गो आदि में प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण किया गया है उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कर्मियों के लिए कालावधि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, जिससे इस संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति में कालावधि में छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति से वंचित करने के लिए सुनियोजित साजिस के तहत् ऐसा किया गया है जो कि इन संवर्ग के कर्मियों की उपेक्षा और संवैधानिक प्रावधान से वंचित करने की घृणित कार्रवाई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की मनसा आदिवासी एवं दलितों के प्रति अच्छा नहीं है। अतः कालावधि में छूट का प्रावधान करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्रीमती बिमला प्रधान एवं श्रीमती मेनका सरदार स0वि0स0 .	झारखण्ड राज्य से अमरनाथ यात्रा पर जानेवाले यात्रियों को अपना पंजीकरण कराने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जमा करना पड़ता है और इसके लिए सरकार द्वारा किसी चिकित्सक को प्रमाण--पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाता है। परन्तु इस वर्ष अभी तक किसी चिकित्सक को प्राधिकृत नहीं किये जाने के झारखण्ड राज्य के यात्रियों को दुसरे राज्य से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र बनाना पड़ रहा है। जिसके कारण राज्य के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं इस विषय के निदान हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
05-	श्री दशरथ गागराई एवं श्री कुणाल षाड़ंगी स0वि0स0	कोल्हान प्रमण्डल के तीन अनुसूचित जाति (SC) बहुल गाँव गोंडामारा, चेलाबेड़ा एवं बोनाबेड़ा जो क्रमशः सरायकेला खरसावाँ, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, को वर्ष 2013 में अनुसूचित जाति उन्नत ग्राम योजना में शामिल किया गया है। प्रत्येक गाँव के लिए सरकार ने 19 जुलाई 2013 को 37 लाख 25 हजार रूपये की राशि स्वीकृति प्रदान की है। योजना के तहत् इन गाँवों में आधारभूत विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है। ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन कर विस्तृत रिपोर्ट कल्याण विभाग को समर्पित कर दिया गया है, परन्तु राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना प्रारंभ नहीं हो पाया है। योजना स्वीकृत होने के बावजूद राशि उपलब्ध नहीं होना चिंता का विषय है। अतः उक्त महत्वाकांक्षी योजना के लिए अविलंब राशि उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	कल्याण

राँची
दिनांक- 27 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-...1736.../वि0स0,राँची,दिनांक-26/3/15
प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/मानव संसाधन विकास विभाग/ खनन एवं भूतत्व विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग /स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-...1736.../वि0स0,राँची,दिनांक-26/3/15
प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

26.03.15